	आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 21/5/22 को पेश हो।
21/5/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 24/6/22 को पेश हो।
24/6/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 22/7/22 को पेश हो।
22/7/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 29/7/22 को पेश हो।
29/7/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 29/8/22 को पेश हो।
29/08/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। वकील वादीगण द्वारा उक्त [illegible] प्रकरण इस न्यायालय में दि० 07-01-2019 को प्रस्तुत करने के पश्चात तीन वर्षो से भी अधिक अवधि का समय लिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई है लिहाजा उक्त [illegible] प्रकरण अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अदम तकमील से खारिज किया जाकर पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
SDO (गुडामालानी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:14:04 IST
Reason: SelfAttested

5/3/19

Reader
check & report
11/1/19

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर (S.D.O.) महो
गुडामालानी

वादीगण :–

1. रूपाराम पुत्र सिमरथाराम उम्र 54 वर्ष
2. रामाराम पुत्र सिमरथाराम उम्र 45 वर्ष
3. सजनीदेवी पत्नि सिमरथाराम उम्र 80 वर्ष
   जाति जाट निवासी राणासर खुर्द
   तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बाबूलाल पुत्र जगमालराम उम्र 45 वर्ष
2. देवीलाल पुत्र राणाराम उम्र 30 वर्ष
3. ओमप्रकाश पुत्र राणाराम उम्र 28 वर्ष
4. धुड़ीदेवी पत्नि राणाराम उम्र 50 वर्ष
5. धापूदेवी पत्नि जगमालराम उम्र 75 वर्ष
6. सवाईराम पुत्र हरदानराम उम्र 42 वर्ष
7. राणाराम पुत्र हरदानराम उम्र 45 वर्ष
8. सवाईराम पुत्र केसराराम उम्र 50 वर्ष
9. बांकाराम पुत्र केसराराम उम्र 48 वर्ष
10. बाबूराम पुत्र केसराराम उम्र 40 वर्ष
11. मानीदेवी पत्नि केसराराम उम्र 70 वर्ष
    जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील गुडामालानी
    जिला बाडमेर
12. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:14:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, बंटवारा व पाने स्थायी निषेधाज्ञा

महोदयजी,

वादीगण का वाद निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि :—

1. कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 एक ही परिवार के सदस्य है जो स्व. भारता के वंशज व विधिक वारिशान है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की वंश वृक्षावली निम्न प्रकार है :—

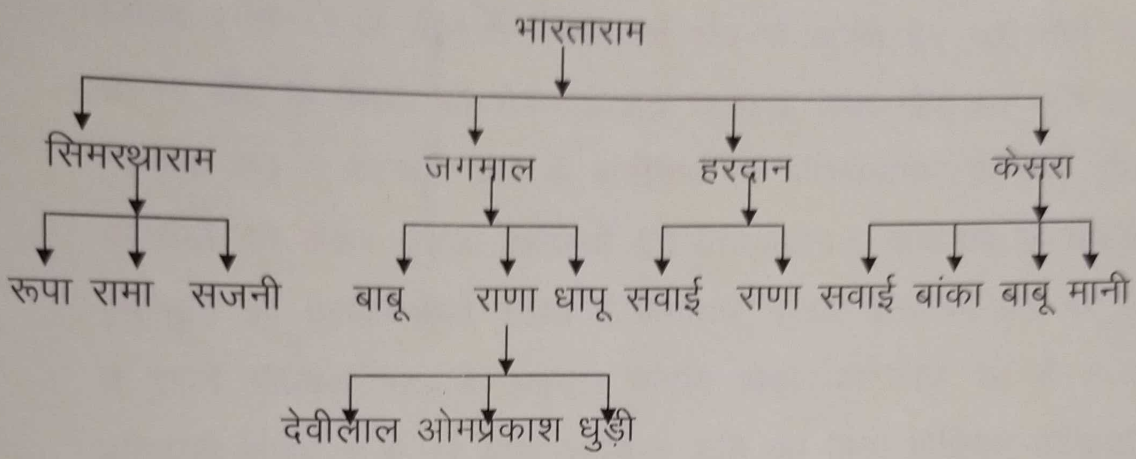

2. कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के संयुक्त खातेदारी के पैतृक खेत मौजा राणासर खुर्द पटवार क्षेत्र राणासर खुर्द तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 235 रकबा 09 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 236 रकबा 04 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 237 रकबा 430.05 बीघा कुल रकबा 430.18 बीघा के आये हुऐ है। वर्तमान जमाबंदी एवं आंशिक नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है।

3. कि विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पूर्वजों के नाम से पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी, जिस पर वक्त सेन्टलमेंट वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पूर्वजों का कब्जा काश्त था तथा उनके फौत पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया, जिससे वर्तमान में उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम से लगातार दर्ज होती आ रही है।

4. कि इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 से 11 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है तथा इसी अनुसार बाहामी रूप से बंटवाडा किया हुआ है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा इसी हिस्सों के माफिक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 विवादित भूमि काबिज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.20 11:14:04 IST
Reason: SelfAttested